

प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 00646/2020-2021

दिनांक 04/12/2020



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/SMU/11570
/2020-2021

पत्रावली संख्या: 63211-I

दिनांक: 1980-1981

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मदर लैण्ड पब्लिक स्कूल, पंजाबी कालोनी, शामली ज़िला शामली, शामली, 247776 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 4537/1980-81 दिनांक-02/12/1980 को दिनांक-02/12/2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



**Digitally Signed By
(Paras Nath Gupta)**

27D86D1E294D47526FC2A17244FCA712F300B287

Date: 04/12/2020 3:15:54 PM, Location: Saharanpur.

जारी करने का दिनांक-04/12/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

M. N. H.
Motherland Public School
Saharanpur

PRINCIPAL
MOTHERLAND PUBLIC SCHOOL
AFF. No. 2130551, D.A.T.T. Saharanpur
E-mail: motherlandpublicschool.saharanpur@gmail.com



२०६८ विकास नगर गोपनीय राज्य के
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति श्री प्रणाली द्वारा दिए
गए अवृद्धि वित्त विभाग की अपार्टमेंट
सभा द्वारा दिए |



हिन्दी विद्यालय
कर्म सोसाइटी द्वारा दिए
११६.०२

प्रिया अधिकारी
MOTHERLAND PUBLIC SCHOOL

प्रिया अधिकारी
MOTHERLAND PUBLIC SCHOOL
AFFILIATED TO C.B.S.E. NEW DELHI
AFF No.-2130551 DISTL-SHAMU

प्रदर्शनी कालिका देवी, रामगढ़ (बुलडोग्गे)

Digitized by srujanika@gmail.com

अन्तर्राष्ट्रीय (१)

पिद्यातय एवं संस्थाओं का प्रधान गणित कार्पेकरिणी के आधार संहा।

अध्याय (२)

संदर्भ

वह सभी व्यक्ति जिनकी लंघि धिद्यात्म के उद्देश्य एवं कार्यों में हैं, धिद्यात्म की समरपाल प्राप्ति के समान हो प्राप्त है।

- (अ) 21 वर्ष की आयु से कम न हो तथा वह पांगल या दिग्गतिया न हो।

(ब) कार्यकारिणी द्वारा संचालित किसी सदस्य के बेतन गोंगी कर्मचारी अथवा अधिकारी न हो।

(स) जो व्यक्ति साधारण सभा के सदस्य बनने के इच्छुक होंगे वह निर्धारित प्रधार पर सदस्यता शुल्क के साथ सदस्यता के लिए आवेदन करेंगे।

(द) कार्यकारिणी की साधारण सभा का गठन निम्न प्रकार के सदस्यों द्वारा होगा।

 - (अ) सरकारि
 - (ब) असैनिक सदस्य
 - (स) साधारण सदस्य
 - (द) धिक्षिण्ड सदस्य

(v) आजीवन स्टड्स :-
जो व्यक्तिविद्यालय को एक पुश्त अध्यया किश्तों में एक वर्ष के भीतर 2017- २०१८ तिथि अध्यया इतने मूल्य की सम्पत्तिदेगा यह समिति का आजीवन स्टड्स होगा।

(b) आपका स्वरूप :-

जो व्यक्तिगत धिदयालय को ५१ ८० देगा वह व्यक्तिगत धिदयालय की गणित

EST 2 W

198c

1500

~~PRINCIPAL~~
MOTHERLAND PUBLIC SCHOOL
AFFILIATED TO C.B.C.T. (NEW DELHI)
AFF. No. 2130551, DIST. SHANSHI

हिन्दी रसियार
मर्क होमाइटोज तथा पिट्टू
पुस्तकालय-३ बॉगे

कार्यकारी का साधारण सदस्य होगा।

(८) प्रिंसिपल सदस्य -

प्रिंसिपल की गठित कार्यकारी प्रिंसिपल के हिस्ते को प्राप्त रखते हुए किसी अन्यान्य अधिकारी सम्पर्कित पर्याप्त सभा को परिषद की सभा के लिए प्रिंसिपल सदस्य मनोरीत का सक्ती है। ऐसे सदस्यों से किसी वकार का गुत्ता नहीं होगा।

- (९) वह व्यक्ति जिसके अपने सदस्यता शुल्क विधानित आवेदन प्रबन्ध पर के साथ है दिया है कार्यकारी द्वारा सदस्यता स्वीकृत किये जाने के बाहेकार अधिकारी इतने समय के बाट होने कर्ती साधारण सभा की बैठक में किसी विषय पर प्रदर्शन का सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी सदस्यता शुल्क तथा आवेदन प्रबन्ध सदस्यता के लिए दिया हो और उसकी सदस्यता प्रिंसिपल की कार्यकारी द्वारा भीकृत न की गई हो तो वह इसकी अवैत्त कार्यकारी की आवासी साधारण सभा में कार्यकारी के किसी सदस्य के प्राप्ति से कर सकता है। साधारण सभा पूर्ण विचार विवर के दृश्यात् यदि उसकी सदस्यता स्वीकार करती है तो वह व्यक्ति साधारण सभा का वैधानिक सदस्य होगा। यदि साधारण सभा भी उस व्यक्ति के प्राप्ति का जास्तीकार करती है तो उस व्यक्ति की सदस्यता शुल्क लौटा दी जायेगी।

- (१०) यदि कोई साधारण सदस्य आगामी वर्ष के लिए अपनी सदस्यता शुल्क २० रुपये तक नहीं होने से उचिती सदस्यता आगामी वर्ष के लिये स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

- (११) एक सदस्य को एक विषय पर केवल एक ही पत देने का अधिकार होगा किसी सदस्य को प्रेषणी वोट(_____) देने का अधिकार नहीं होगा।
- (अ) शुल्क द्वारा - ऐसी अवस्था उस तदन्त का उत्तराधिकारी कार्यकारी का सदस्य नहीं होगा।

कला 4 पर

Usha

शिशी रत्नाल
प्राप्ति अवाहनोन तथा विट्ठल
५५५९, २०-२०

- (व) दियालिया अथवा पागल होने के कारण (यदि यह अधिकृत अधिकारीयों द्वारा पागल या दियालिया घोषित किया जाता है) ।
- (स) त्यागपत्र देने पर :- त्याग पत्र कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत होने पर।
- (द) कार्यकारिणी द्वारा हटाये जाने पर :- यदि किसी सदस्य को कार्यकारिणी द्वे तिहाई (2/3) बहुमत से “ साधारण सदस्यता से अस्वीकार कर दें ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति का वार्षिक सदस्यता शुल्क यापिस नहीं किया जायेगा ” । तथा कार्यकारिणी को साधारण सभा के सम्मुख उस व्यक्ति को सदस्यता से हटाने के कारणों पर प्रकाश ढालते हुये अपने निर्णय को साधारण सभा के उपस्थिति सदस्यों में बहुमत से स्वीकार कराना होगा ।

अध्याय - 3

साधारण सभा :-

साधारण सभा के सदस्य 3 वर्ष के लिए कार्यकारिणी द्वारा संचालित संस्थाओं के लिए कार्यकारिणी का गठन करेंगे जो कि कार्यकारिणी के आधीन चल रही सभी संस्थाओं के कार्यों का संचालन एवं देखभाल करेगी । इस कार्यकारिणी के निम्न पदाधिकारी रहेंगे :-

- (1) प्रधान (2) उप प्रधान
- (3) प्रबंधक (4) उप प्रबंधक
- (5) कोषाध्यक्ष
- (6) लेखा निरीक्षक (केवल वार्षिक आय व्यय के लेखों के निरीक्षण) उपरोक्त पदाधिकारी (लेखा निरीक्षक के अतिरिक्त) तथा अन्य 3 (तीन) और सदस्य जो कि साधारण सभा द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे मिलकर समिति का गठन करेंगे । यह समिति, कार्यकारिणी के आधीन संचालित सभी संस्थाओं के लिए होगी । कार्यकारिणी में संस्था के प्रधानाचार्य अथवा संस्थाध्यक्ष एवं एक अध्यापक अथवा एक वेतन भोगी कर्मचारी (वरीयतानुसार) उस संस्था के लिये पदेन सदस्य होंगे । उनको किसी विषय पर मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

साधारण सभा की बैठक तीन वर्ष समाप्त होने के बाद होगी जिसमें

क्रमशः 5 पर



Shri K. N. Singh (2)
M. A. S. (3)

हिन्दी रजिस्ट्रार
राम सोसाइटी नगर चिट्ठा
पटना बिहार ८५

आगे आने वाले तीन वर्षों के लिए समिति का गठन करेगी।
विशेष कारण उत्पन्न होने पर प्रबंधक कार्यकारिणी के प्रधान भी
अनुमति रो साधारण सभा की लिखित वैठक बुला सकते हैं।

- (4) यदि प्रबंधक समय पर साधारण सभा की वैठक बिना किसी कारण
नहीं बुलाते तो कार्यकारिणी के 1/3 तथा साधारण सभा के 1/4
सदस्यों को लिखित ज्ञापन पर प्रधान सभा की वैठक बुला सकते हैं।
- (5) साधारण सभा के सदस्यों की कुल संख्या 1/4 सदस्यों की उपस्थिति तो
साधारण सभा की वैठक का कोरा पूरा माना जायेगा।
- (6) साधारण सभा बुलाने के लिये 15 दिन पहले लिखित सूचना देना
प्रबंधक का कर्तव्य है। लिखित अधवा आपात वैठक दो दिन पूर्व
सूचना देने पर भी बुलाई जा सकती है परन्तु इस वैठक में भी कुल
सदस्यों की संख्या का 1/4 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है।

अध्याय - 4

कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

(1) अध्यक्ष :-

- (अ) कार्यकारिणी तथा साधारण सभाओं की सभी वैठकों को
अध्यक्षता, संचालन एवं उन पर नियमानुसार नियंत्रण करना यिष्ठतो
वैठक की कार्यवाही पर पुष्टि के पश्चात हस्ताक्षर करना।
- (ब) यह देखना कि किसी व्यक्ति को दण्डित करते समय
साधारण सभा द्वारा अनुमोदित संवेदनिक नियमों का पालन किया
गया है अथवा नहीं।
- (स) प्रबंधक समिति के प्रबंधक को समिति के कार्यों का देखभाल
एवं व्यवस्था के लिये अपने अधिकार से 100/- माहावार तक छाँच
करने की अनुमति देना। (इससे अधिक व्यय के लिए कार्यकारिणी
की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी)।
- (द) अध्यक्ष को आवश्यकता होने पर निर्णायक मत देने का
अधिकार होगा।

(2) उपाध्यक्ष :-

- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारिणी अथवा साधारण सभा की
अध्यक्षता करना अथवा द्वारा लिखित में दिये गये उनके

क्रमांक: 5 पर

(जीवक) के अधिकारों का प्रयोग जरना।

(3) ପରିଧି

- (अ) कार्यकारिणी एवं साधारण सभा के कार्यसंपर्क पर पूर्ण नियन्त्रण रखना, तथा आणशक्ति कागजो, अंतिम तथा अन्य रिकार्ड को सुरक्षित कराना।

(ब) परिषद के आधीन बहने वाली सभी सम्भाजों अथवा परिषद से संबंधित शब्दों के विस्तृत पास कराना।

(स) सम्भाजों के आमदनी एवं हावे का विवरण रखाना।

(द) कार्यकारिणी के आधीन बहने वाली सभी सम्भाजों के आव व्यय पर नियन्त्रण रहाना तथा हस्ताक्षर करना।

(इ) कार्यकारिणी अथवा संबंधित सम्भाजों के संवय में पञ्च अवधार एवं वैषामिक करार्य कराना।

(ए) कार्यकारिणी से संबंधित सम्भाजों में योग्यता को निषुल्त करना तथा कर्मचारियों की वित्तवित अथवा पदच्युत करना।

(र) प्रबंधक किसी कर्मचारी को विलंबित अथवा पदच्युत करने के 15 दिन के कार्यकारिणी समिति से निलंबन अथवा पदच्युत करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उसका अनुसोदन प्राप्त करेंगे।

(त) साधारण सभा तथा कार्यकारिणी की बैठकों की कार्यवाही को निलंबन सदा उनका रिकार्ड रखाना।

(४) प्रबल्यक यदि आवश्यक समझे और चाहे तो अपने सभी अधिकार अध्यया आंशिक रूप से अपने अधिकार कार्यकारिणी समिति की अनुमति से उप प्रबल्यक को सौंप सकते हैं परन्तु फिर भी कार्यकारिणी की तीनों बैठकों में से कम से कम एक बैठक में प्रबल्यक को अवश्य भाग लेना होगा।

(4) अप द्वयोराक्ष २

- (अ) प्रबंधक की अनुपस्थिति में, प्रबंधक के सभी कार्य करना।
 (ब) प्रबंधक द्वारा सिद्धान्त में दिये गये कार्यों अथवा अधिकारों का प्रयोग करना।
 (स) प्रबंधक यदि अपने अधिकार और कर्तव्य उप प्रबंधक को स्थानान्तरित करते हैं तो उप प्रबंधक को कार्यकारिणी की अनुमति से उनके कार्य करने वा देखाने के लिए 200/- से 400/- माहायार

— 1 —

Ugla

हिन्दी रजिस्टर
हाई कोर्ट दिल्ली के तथा विट्ट
१९७८ सं ४०

का प्रति संघर्ष के लिए ये मानदेश दिया गया रखा है। इस प्रबल गणि जाहे थो संघर्ष के वार्ताक नियमि यो देशमें तुम भावि
मानदेश यो गृह सपन के लिए जाना पूरी रूप से, जाना बास्तव
रा हो जेठ राखो है।

संघर्षकारी

(3) कार्यकारिणी द्वारा आधारित नियमि संघर्ष को प्राप्त कीर्ति यो
संघर्ष अनुदान अवधार पन के बैठक में रखना चाहा जाना पूरा
पूरा संघर्ष घोष्या रखना।


(4) कार्यकारिणी एवं कार्यकारिणी की अवग एवं उद्दामों के लिए वित्त किताब
को राखा गया पर देखना।

संघर्ष निरीक्षण :-


वर्ष में एक बार (प्राप्तिकाल 5 मई से 30 जून तक) भविता के
साथ कर निरीक्षण करना। संघर्ष के संघर्ष निरीक्षण के लिए संघर्ष
निरीक्षक, संघर्षाध्यक्ष को कम से कम एक तापाह पहले यूचना देकर
निरियत तारीख दें।

अवधार - 5 (संघर्ष के कार्य)

तभिति, कार्यकारिणी के जारीन बतने वाली सम्भावों के लिए आवश्यक
पन का प्रबंध करेंगी। यह साधारण सभा के लिए उत्तरदायी होंगी।

(1)  (2) तभिति की बैठक एक बाढ़ में कम से कम एक बार अवश्य की
जायेगी।

तभिति के 1/3 सदस्यों के लिखित आवेदन पत्र पर प्रबंधक कार्य-
कारिणी की विशेष बैठक नड़ी बुलाते तो प्रधान को इस प्रार्थना पर
बैठक बुलाने का अधिकार होगा। कार्यकारिणी के कुल सदस्यों की
संख्या 1/3 उपस्थिति कोरम पूरा करेगी।

(3)  (4) कार्यकारिणी विशेष समारोह एवं उत्सवों के प्रबंधक के लिये अस्थायी
उप तभिति का प्रबंध कर सकती है यदि आवश्यक हो उप संविति में
संबंधित सम्भा के बतन घोगी कर्मबारियों को भी सम्प्रिलित किया जा
सकता है।

(5) कार्यकारिणी यदि उन्नित समझते तो एक उपप्रबंधक उचित पानदेय



दिल्ली एवं नियमि
कार्यकारिणी उप प्रबंधक
प्रबंधक द्वारा दिया गया

पर नियुक्त कर सकती है।

- (6) समिति एवं संस्थाओं के सभी रिकाइ डिन्डी में रखे जायेंगे।
 (7) कार्यकारिणी के आधीन सचालित संस्थाओं में किसी भी विषय पद पर अथवा नवीन पद पर कार्यकारिणी द्वारा नियुक्ति की जायेगी।
 नवीन पदों का आपचारित अनुमोदन संघारण सभा द्वारा कराया जायेगा।

अध्याय (6)

कार्यकारिणी के वेतन भोगी :-

- (1) संस्था के सभी कर्मचारी कार्यकारिणी के प्रबंधक एवं **अध्यक्ष** के अध्यक्ष के आधीन होंगे। लेकिन वह सीधे रूप से अपने संस्थाध्यक्ष के अधीन कार्य करेंगे।

(2) किसी वेतन भोगी कर्मचारी को पदच्युत करने के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस कारणों सहित देना। अनियाय होगा प्रबंधक महोदय कार्यकारिणी के सम्मुख संबंधित कर्मचारी के आचरण एवं कार्य की तिखित विवरण प्रस्तुत करेंगे जिसके आधार पर एवं पदच्युत किया जा रहा है। कार्यकारिणी को सतुष्ट करने के उपरान्त ही प्रबंधक महोदय किसी कर्मचारी को पदच्युत कर सकते हैं।

(3) वेतन भोगी कर्मचारी स्वेच्छा से संस्था से छोड़कर जायेगा तो उसकी संस्थागत द्वारा प्रबंधक को 15 दिन का नोटिस देना होगा ऐसा न करने पर कर्मचारी का 15 दिन का वेतन रोका जा सकता है। संस्थाध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध कर्मचारी प्रबंधक द्वारा कार्यकारिणी में अपील कर सकेगा कार्यकारिणी का निर्णय, संस्थाध्यक्ष अथवा कर्मचारी को मान्य होगा।

(4) पारिषद के अधीन चलने वाली संस्थाओं के वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रबंधक तथा कार्यकारिणी समिति की सलाह पर यदि आवश्यक हो तो एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

अध्याय (7)

संविधान में संशोधन :- (1) उपरोक्ता संविधान के किसी अध्याय अथवा प्रारम्भ में संशोधन केवल साधारण सभा द्वारा ही मान्य होगा जो कि केवल इसी कार्य के लिए बुलाई गई है।

- (2) संविधान में संशोधन करने के लिए गठा गदारों को रूप से कम 10 दिन पहले संविधान में किये जाने वाले 99वापस हो अविभागी गठन देना आवश्यक है।
- (3) संशोधन करने के लिये बुलाई गई विठ्ठल भवगढ़ा का तो कार्यकालिनी के प्रस्ताव अध्यया गाधारण सभा के गदारों के 1/3 सदस्यों को विषय पारपर बुलाई जायेगी।
- (4) संशोधन सभा का कोरप साधारण सभा के गदस्यों की संख्या का 40% होगा तथा संशोधन उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से मान्य होगा।
- (5) संशोधन सभा के लिए उपस्थित सभी सदागरों के हस्ताक्षर जारीबाही रजिस्टर पर लेने आवश्यक है।



पूर्व नियमावली में छोड़ गये प्रतिवर्धों का संशोधित नियमावली में समावेश करना:- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

उा:- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

ग:- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति वे नेहावी वर्चों के लिए सुरक्षित होंगे और उनसे ऊतर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा सचालित विद्यालयों में विभिन्न फलाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

घ:- सम्भव द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की पांग नहीं की जायेगी।

और परि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक ऐक्षा परिषद से पान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सचिवता संघर्ष योड़ आह सेकेन्डरी एजामिनेशन नई दिल्ली अध्यया कौन्सिल फार ८ इंडियन स्कूल सरटिफिकेट एजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उसे परिषद से सचिवता प्राप्त होने की तिथि तक से परिषद से पान्यता और राज्य सरकार से अनुदान लेने समाप्त हो जायेगी।

इ:- सम्भव के शिक्षण तथा शिक्षणलार कर्मचारियों, राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुपान्य वेतनमानों तथा अन्य भूजों से कम वेतनमान तथा अन्य भूजों नहीं दिये जायेगे।

घ:- कर्मचारियों नी सेवा शर्तें बनायी जायेगी। जो १ उन्हे सहायता प्राप्त असाधन

Vidya

Kumkum

मैरी विद्या
मान सोमाइयी व वान ३
२०१३

१. नागरिक विद्यालय के कार्यालयों ने अनुमति देता है।
आगे इनका जारी जापें।
२. सभी संस्कार द्वारा सभा द्वारा दृष्टि पर जो भी आदेश निर्गत किये जाते हैं, सभा
इनका ध्यान करें।
३. विद्यालय का टिकाऊ निर्धारित प्रबन्ध/परिकाउट में रखा जाएगा।



अधिकारी की विधि

यह सभा द्वारा या सभा की पारिस्थितिक अधिकारी की विधि
सभा के अधिकारी के द्वारा की जाती है।

द्वयधक,

मदा लैण्ड परिवार स्कूल
स्त्री रघुनाथ मन्दिर, वजाबी कालोनी,
शामली (मुज़फ़रनगर) २०५०।

स्त्री रघुनाथ मन्दिर

PRINCIPAL
MOTHERLAND PUBLIC SCHOOL
AFFILIATED TO C.E.T. NEW DELHI
AFI No.-2130551, DISTT.-SHANLI

15-05-2002

Visha

सत्य प्रातोदय।

SECRETARY
Motherland Public School
SHANLI

